



उत्तर प्रदेश सरकार

# उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

10 वां तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

(0522) 2287231 (अध्यक्ष)  
(0522) 2287230 (उपाध्यक्ष)  
(0522) 2287217 (सचिव)  
(0522) 2287217 (फैक्स)

पत्र संख्या ..... १८-१७५४४/१००४६६/१७/१००६

दिनांक ... 6.7.17

## कार्यालय ज्ञाप

मा० अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय कक्ष संख्या 1021 में दिनांक 12.07.2017 (बुधवार) को अपराह्न 1.00 बजे आयोग की बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में मा० उपाध्यक्षगण एवं मा० सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं।

(अनामिका सिंह)  
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1. मा० उपाध्यक्षगण।
2. मा० सदस्यगण।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी।
4. निजी सचिव मा० अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
5. श्री सिद्धार्थ जिज्ञासु को इस आशय से कि वह माननीयों को दूरभाष से भी बैठक की सूचना दे दें।
6. सहायक लेखाकार, कार्यालय।
7. नाजिर कार्यालय को इस आशय से कि वह बैठक हेतु जलपान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(अनामिका सिंह)  
वित्त एवं लेखाधिकारी

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आपसे आशा की जाती है कि आप अनुबंधित समय के भीतर उत्तर दें, अन्यथा आयोग इस मामले को निपटाने में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने को बाध्य होगा।  
The Uttar Pradesh Commission For Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a Constitutional Body You are expected to respond within stipulated time, failing which Commission will be constrained to invoke Constitutional powers to deal with the matter.